

फलिसितीनी शरणार्थियों हेतु भारत की सहायता

स्रोत: बज़िनेस स्टैंडर्ड

हाल ही में भारत ने वर्ष 2024-25 के लिये 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिससे के रूप में नयिर ईस्ट (पूरवी भूमध्य सागर के चरों ओर का पारमहाद्वीपीय क्षेत्र) में स्थिति फलिसितीनी शरणार्थियों के लिये **संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency- UNRWA)** को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली कसित जारी की।

- UNRWA वर्ष 1950 से पंजीकृत फलिसितीनी शरणार्थियों के लिये **प्रत्यक्ष राहत और कार्य कार्यक्रम** का संचालन कर रहा है तथा साथ ही गाज़ा में **इज़रायल-हमास युद्ध** के बीच भी क्रियाशील रहने हेतु परयासरत है।
- भारत ने फलिसितीनी शरणार्थियों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत एवं सामाजिक सेवाओं सहित UNRWA के मुख्य कार्यक्रमों व सेवाओं हेतु अभी तक (2023-24) तक कुल 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA):

- इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुए अरब-इज़रायल युद्ध के उपरांत **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा वर्ष 1949 में की गई थी।
- इसका उद्देश्य 1948 के अरब-इज़रायल संघर्ष के कारण वस्थापित हुए **फलिसितीनी शरणार्थियों** और उनके परिवारों को **सहायता तथा सुरक्षा प्रदान करना** है।
- इसका संचालन गाज़ा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे क्षेत्रों में है।
- यह लगभग पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्तपोषित है।
- UNRWA को प्रदत्त भारत की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त वह एजेंसी के वशिष्ट अनुरोध के आधार पर फलिसितीनी शरणार्थियों के लिये औषधियाँ भी उपलब्ध कराएगा।

और पढ़ें: [इज़रायल-हमास संघर्ष और इसका वैश्विक प्रभाव](#)